

शिव कुमार शाव + 2 वराम अर्जुन शाव + 5

मैं थाना प्रभारी, देहली

के प्रतिवेदन से सन्तुष्ट हूँ कि दोनो पक्षों के बीच ^{मुझ} ~~विवाद~~ को लेकर झगड़ा के कारण मेरे अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत शांति भंग होने की संभावना है।

अतः दोनों पक्षों के विरुद्ध दफा 107 द0 प्र0 स0 की प्रक्रिया कायम की जाती है। दोनों पक्षों को आदेश दिया जाता है कि दिनांक 10.4.17 को मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर कारण पृच्छा दाखिल करे कि क्यों नहीं उन्हें एक वर्ष तक शांति बनाये रखने हेतु एक-एक हजार रुपया का बन्धपत्र दाखिल करने का आदेश दिया जाय।

6/6
16/3/17

16/3

अनुमण्डल पदाधिकारी
सदर, मेदिनीनगर

10.4.17

~~जौलिया का गाविसा अण्डाल
हिलीय पञ्ज के सही सदस्य
की दायिरी पावर के साथ
राज सभ्य का अण्डाल
पञ्ज पञ्ज के सही सदस्य
की दायिरी पावर के साथ
राज सभ्य का अण्डाल~~

अपेक्षित की आपसे से अस्तित्व अण्डाल,
देना किन्तु 3/5/17 को रखें।

3.5.17

~~दोनों पक्षों की दायिरी
राज दोनों पक्षों की को
के मुलहनामा का अण्डाल~~

Compromise accepted. Rounding is dropped

10/4/17

15/10